जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 21.09.2024**

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामदः-

आज दिनांक 21.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नफीस उर्फ राजा पुत्र सगीर निवासी मौहल्ला रायजादगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विक्रम सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 कुल्दीप सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 विपिन थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामदः-

आज दिनांक 21.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रिहान पुत्र रहीस उर्फ सल्लू निवासी मौहल्ला खैल कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 कविन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

3.का0 सचिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नकदी, अंक व गोले बना हुआ प्लाई बोर्ड बरामदः-

आज दिनांक 21.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 जुआरी को सट्टा लगाते हुये नकदी 140/- रुपये एवं एक प्लाईबोर्ड (जिस पर अंक व गोले बने हुए हैं) सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.संजय पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम खेडकी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.नकदी 140/- रुपये।

2.एक प्लाईबोर्ड (जिस पर अंक व गोले बने हुए हैं)।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.का0 राहुल कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से देशी शराब बरामदः-

आज दिनांक 21.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 16 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अब्दुल हक पुत्र सालिम निवासी मौ0 खैलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.देशी शराब 16 पव्वे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री बन्टी सिंह थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2.है0का0 जहीन अख्तर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

3.का0 अनुज कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामदः-</u>

आज दिनांक 21.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.आमिर पुत्र इकबाल निवासी सरवरपीर वरखण्डी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री राजेश सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री आनन्द कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 मयूर थाना कैराना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में आयुध अधिनियम के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 2,00/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 2023 में अभियुक्त मुस्ताक पुत्र नबाबूदीन ग्राम नगला राई थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 304/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में सुनाई जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,00/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1. मुस्ताक पुत्र नबाबूदीन ग्राम नगला राई थाना कैराना जनपद शामली।

मा0 न्याया0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफटीसी)/उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम जनपद शामली द्वारा गैंगस्टर साकिब की गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क की गयी सम्पत्ति के विरुद्ध किये गये प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए कुर्की के आदेश को बरकरार रखे जाने का निर्णय पारित किया गया।

अवगत कराना है कि साकिब पुत्र यूसुफ उर्फ ईशा निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त था। अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम अभियोग वर्ष 2017 में दर्ज हुआ और उसके निरन्तर आपराधिक क्रिया कलापों में लिप्त रहने के कारण दिनांक 28.09.2022 को अभियुक्त साकिब के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी। अभियुक्त वर्ष 2017 से निरन्तर अवैध कृत्यों से धन प्राप्त कर सम्पत्ति अर्जित कर रहा था। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अवैध रुप से अर्जित की गयी सम्पत्ति को कुर्क कराने हेतु गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी शामली को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी।

जिलाधिकारी शामली महोदय के आदेश दिनांक 20.10.2022 के द्वारा अभियुक्त उपरोक्त की सम्पत्ति कुर्क किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। जिलाधिकारी शामली के उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में अभियुक्त साकिब उपरोक्त की दिनांक 25.10.2022 को सम्पत्ति कुर्क की गयी थी। उक्त आदेश के विरुद्ध साकिब उपरोक्त द्वारा कुर्क की गयी सम्पत्ति अवमुक्त कराने हेतु प्रत्यावेदन किया गया था। जो दिनांक 11.09.2023 को अस्वीकार किया गया था।

जिलाधिकारी शामली द्वारा किये गये आदेश दिनांक 20.10.2022 व दिनांक 11.09.2023 के विरुद्ध साकिब, श्रीमती मशरूफा पत्नी साकिब, युसुफ पुत्र सराजू, लाल सिंह पुत्र तेजपाल व बुसरा पत्नी बाकिव उपरोक्त द्वारा मा0 न्याया0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफटीसी)/उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम जनपद शामली में कुर्क की गयी सम्पत्ति को अवमुक्त कराने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा प्रकरण में प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में दिनांक 19.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में संयुक्त निदेशक श्री दिवाकर शर्मा, विशेष लोक अभियोजक श्रीमती शैली भारद्वाज द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के क्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफटीसी)/उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 जनपद शामली द्वारा साकिब, श्रीमती मशरूफा, युसुफ, लाल सिंह व बुसरा द्वारा सम्पत्ति कुर्क किये जाने के आदेश के विरुद्ध योजित प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.10.2022 एवं दिनांक 11.09.2023 अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम बरकरार रखे जाने का निर्णय पारित किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI